**प्रेस विज्ञप्ति**

**12/08/2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के तहत महाराष्ट्र के बीड, औरंगाबाद, पुणे, नवी मुंबई में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 09.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड के रूप में चल संपत्ति, 1.2 करोड़ रुपये (लगभग) के डीमैट खाते की होल्डिंग्स को जब्त/फ्रीज कर दिया गया है, साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त किए गए हैं।

ईडी ने महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा आईपीसी, 1860 और एमपीआईडी अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की है। यह धोखाधड़ी मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के माध्यम से सुरेश कुटे और अन्य द्वारा निवेशकों के साथ की गई है। अब तक दर्ज और सत्यापित एफआईआर के अनुसार, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की अनुमानित राशि 168 करोड़ रुपये (लगभग) है। डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और अन्य द्वारा किया जाता था। इसने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं और 12% से 14% तक ब्याज देने का दावा किया। सोसायटी ने व्यक्तिगत ऋण, सरल ऋण, वेतन ऋण, सावधि ऋण, स्वर्ण ऋण और एफडीआर ऋण जैसी कई अन्य योजनाएं भी शुरू कीं।

ईडी की जाँच से पता चला कि सुरेश कुटे और अन्य ने भोले-भाले निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके डीएमसीएसएल के साथ पैसा जमा करने के लिए लुभाया, हालांकि, जमा परिपक्व होने पर निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया गया या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें धोखा दिया गया और उनके फंड को सोसायटी के प्रबंधन द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आपराधिक साजिश रचकर गबन कर लिया गया।

ईडी की जाँच से पता चला कि जमाकर्ताओं से एकत्र डीएमसीएसएल के फंड को सुरेश कुटे और अन्य ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संपत्ति बनाने के लिए निकाल लिया। ईडी की जाँच से आगे पता चला कि डीएमसीएसएल के फंड को विभिन्न फर्जी संस्थाओं के माध्यम से लेयरिंग करके निकाला गया और उक्त फंड को शेयर पूंजी/निवेश के रूप में 'कुटे ग्रुप' की कंपनियों में पेश किया गया। साथ ही, जाँच से पता चला कि फर्जी/छद्म संस्थाओं का जाल बनाकर लेयरिंग के माध्यम से डीएमसीएसएल के फंड को हांगकांग ले जाया गया। डीएमसीएसएल के निवेशकों को धोखा देकर अर्जित अपराध की आय को सुरेश कुटे और अन्य लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लूटा गया, जिसमें विभिन्न अचल और चल संपत्तियां अर्जित करना शामिल है, जिनसे संबंधित साक्ष्य भी जब्त कर लिए गए हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।